# वार्षिक प्रतिवेदन
# 2024-25

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
## अवंतीपोरा, जम्मू और कश्मीर

## ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
## AWANTIPORA, JAMMU AND KASHMIR

ज़िला: पुलवामा, जम्मू और कश्मीर
पिन: 192122

www.aiimsawantipora.edu.in
ईमेल: deputydirector@aiimsawantipora.edu.in

सत्यमेव जयते

श्री जगत प्रकाश नड्डा
**SHRI JAGAT PRAKASH NADDA**
मानानीय केंद्रीय मंत्री
Hon'ble Union Minister
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक, भारत सरकार
Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers, Government of India

श्री प्रतापराव जाधव
**Shri Prataprao Jadhav**
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आयुष मंत्रालय
Hon'ble Minister of State (Independent Charge)
Ministry of Ayush
व
and
माननीय राज्य मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Hon'ble Minister of State
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

श्रीमती अनुप्रिया पटेल
**Smt. Anupriya Patel**
माननीय राज्य मंत्री
Hon'ble Minister of State
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers, Government of India

# विषय-सूची



| वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 | | |
|---|---|---|
| क्रम संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
| 1. | अध्यक्ष की कलम से | 1 |
| 2. | कार्यकारी निदेशक की कलम से | 2 |
| 3. | संगठन चार्ट | 3 |
| 4. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा की पृष्ठभूमि और भावना | 4-7 |
| 5. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा का प्रशासनिक ढाँचा | 8-18 |
| 6. | प्रशासनिक प्रतिवेदन | 19-22 |
| 7. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा का संक्षिप्त विवरण | 23-27 |
| 8. | निर्माण अद्यतन | 28-55 |
| 9. | आधिकारिक दौरा | 56-60 |
| 10. | घटनाओं की संक्षिप्त समय-सीमा | 61 |
| वित्त प्रतिवेदन | | पृष्ठ संख्या |
| | वार्षिक लेखा 2024-25 | 62-95 |
| | वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2024-25 | 96-100 |

## अध्यक्ष की कलम से

मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा की वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। पिछले एक वर्ष में, संस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति देखी है, विशेष रूप से प्रमुख बुनियादी ढाँचे के निर्माण और विकास में, जो इस प्रमुख स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक संस्थान की रीढ़ बनेगा।

इस परियोजना की प्रगति केवल भौतिक विकास से कहीं अधिक है। यह एक ऐसे उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी सेवाओं को नई परिभाषा देगा। परिसर के कई प्रमुख घटक अब पूर्णता के अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं, और एक अत्याधुनिक सुविधा का दृष्टिकोण एक स्पष्ट और आशाजनक आकार ले रहा है।

इस साल की प्रगति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा से जुड़े सभी लोगों के समर्पण का सबूत है। मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी व्यस्त समय सारणी के बावजूद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा के विकास कार्यों के लिए अपनी दूरदर्शिता, लगातार मार्गदर्शन और पूरा पर्यवेक्षण दिया। मैं निदेशक, डॉ. सच्चिदानंद मोहंती को उनके प्रतिबद्धता और संस्थान को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिशों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं उप-निदेशक (प्रशासन), श्री मुकेश प्रसाद, वास्तुकारों, अभियंताओं, परियोजना दल, ठेकेदारों और सभी हितधारकों को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिनके मिलकर किए गए प्रयासों और लगन ने विकास की गति को तेज़ किया है। उनके व्यावसायिकता और पक्के इरादे ने हमारी तय समय-सीमा के अनुसार लगातार प्रगति सुनिश्चित की है।

मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्य अधिकारियों का संस्थान के विकास के दौरान उनकी मदद और सहयोग के लिए आभारी हूँ। लोगों का भरोसा हमारे इरादों को और मज़बूत करता है, क्योंकि हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा को जम्मू और कश्मीर में उन्नत स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा का एक मुख्य केंद्र बनाने के करीब पहुँच रहे हैं।

हम सब मिलकर एक ऐसा संस्थान बना रहे हैं जो इस क्षेत्र की आने वाली पीढ़ियों के लिए चिकित्सा, नवाचार और अवसर का एक प्रकाश स्तंभ बनेगा।

**प्रोफ़ेसर (डॉ.) प्रमोद गर्ग**
**अध्यक्ष**
**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा**

## कार्यकारी निदेशक की कलम से

मुझे आपको स्वागत करते हुए और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा, कश्मीर के चल रहे विकास को उजागर करती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तहत राष्ट्रीय महत्व के सबसे नए संस्थानों में से एक के रूप में, हम इतिहास बनाने के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं - न केवल एक चिकित्सा संस्थान का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि जम्मू और कश्मीर और उसके बाहर के लोगों के लिए सुलभ, उन्नत और करुणामय स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा की परिकल्पना इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा वितरण को पुनर्परिभाषित करने के उद्देश्य से की गई है। संस्थान की प्रतिबद्धता केवल चिकित्सकों, नर्सों एवं शोधकर्ताओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे उत्तरदायी एवं व्यावसायिक कार्मिकों का संवर्धन भी शामिल है, जो ज्ञान को सहानुभूति के साथ, वैज्ञानिक दक्षता को मानवीय संवेदनशीलता के साथ तथा नवाचार को नैतिकता एवं ईमानदारी के साथ समन्वित करते हैं।

पूरे साल में हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति सभी तरफ से सामूहिक प्रयास, प्रतिबद्धता और मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व, मार्गदर्शन और अटूट समर्थन ने इस प्रतिष्ठित परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना), और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का भी इस विकास यात्रा के दौरान उनके निरंतर विश्वास, सहयोग और अमूल्य समर्थन के लिए गहराई से आभारी हूं।

मैं इसके अतिरिक्त प्रो (डॉ.) प्रमोद गर्ग, अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**,** अवंतीपोरा के अमूल्य मार्गदर्शन और अटूट समर्थन के लिए गहरी सराहना व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा हार्दिक धन्यवाद मेरे सहयोगी दल के प्रति भी है, विशेष रूप से श्री मुकेश प्रसाद, उपनिदेशक (प्रशासन), का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने संस्थान की प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों के समर्थन में अपने समर्पण, व्यावसायिक योग्यता और परिश्रम से योगदान दिया। मैं आगे वास्तुकारों, अभियंताओं, ठेकेदारों और हर हितधारक का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनका समर्पण और विशेषज्ञता इस दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने में सहायक रही है।

हम एक ऐसे संस्थान को विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं जो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को स्थानीय आबादी की अनूठी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ सहज रूप से मिश्रित करता है। जैसे-जैसे हमारा परिसर बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे हमारी आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं - अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना से लेकर विशेष नैदानिक सेवाओं की शुरुआत तक जो पहले इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थीं।

हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत सरल लेकिन शक्तिशाली हैं: गुणवत्ता, समावेशिता, सेवा और शैक्षणिक उत्कृष्टता। हमारे समर्पित संकाय, कर्मचारियों और छात्रों के सहयोग से, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा न केवल जम्मू और कश्मीर, बल्कि पूरे देश के लिए आशा, उपचार और सीखने के केंद्र के रूप में उभरने की आकांक्षा रखता है। हम इस सुविधा को योजना के अनुसार पूरा करने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उत्सुकता से उस गहरे और स्थायी प्रभाव को देखने के लिए उत्सुक हूं जो इसका हमारे समुदायों पर पड़ेगा।
आपके अटूट समर्थन और निरंतर प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद।

**प्रोफेसर (डॉ.) सच्चिदानंद मोहंती**
**कार्यकारी निदेशक**
**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा**

## संगठन चार्ट: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा

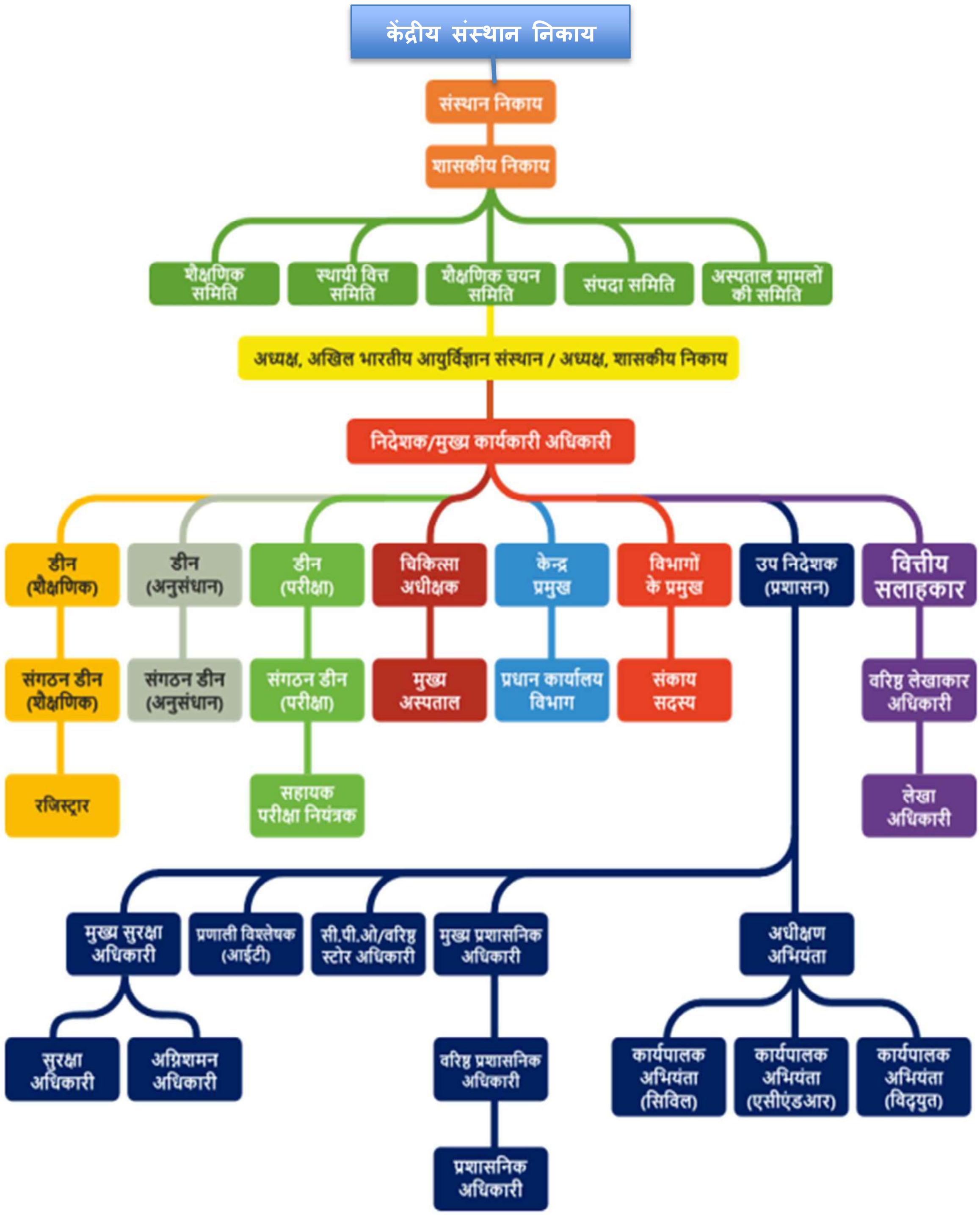

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा
## पृष्ठभूमि और उद्देश्य

**1. पृष्ठभूमि**: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा की स्थापना केंद्रीय क्षेत्र योजना - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत की जा रही है, जो भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसके लिए भारत के राजपत्र, विशेष भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या 3903, दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को जारी की गई है। इस योजना का उद्देश्य किफायती, उच्च-गुणवत्ता वाली तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है और साथ ही देश के वंचित और पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष रूप से उन्नत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना है। पीएमएसएसवाई के तहत, सरकार ने प्रमुख चिकित्सा संस्थानों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 21 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संस्थानों की परिकल्पना की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा इन प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक है, जिसकी परिकल्पना एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई है जो स्वास्थ्य सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देगा और कश्मीर घाटी में चिकित्सा प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करेगा।

**2. सोच:** अवंतीपोरा में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की परिकल्पना अति-विशेषज्ञता स्वास्थ्य सेवा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में की गई है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कश्मीर घाटी के साथ-साथ पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की आबादी की ज़रूरतों को पूरा करेगा। उन्नत चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के अलावा, यह संस्थान डॉक्टरों, नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों का एक कुशल और विविध समूह तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मज़बूत करेंगे। स्वास्थ्य सेवा वितरण और चिकित्सा शिक्षा के अलावा, अवंतीपोरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान क्षेत्र-विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों पर केंद्रित अनुसंधान पर ज़ोर देगा, जिसमें प्रचलित संचारी और गैर-संचारी रोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य समस्याएँ और अन्य उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएँ शामिल हैं। साक्ष्य-आधारित समाधान और नवीन उपचार पद्धतियाँ विकसित करके, संस्थान का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में रोग निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन में सुधार करना है। इस परिवर्तनकारी पहल से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों को गुणवत्तापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाकर, चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाकर और एक सुदृढ़ क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके पर्याप्त और दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

**3. अभियान:** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा का मुख्य अभियान एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण को समाहित करता है जिसका अभियान क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इसका अभियान है:

**क)** डॉक्टरों, नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य पेशेवरों के एक विविध संवर्ग को अत्याधुनिक ज्ञान, नैतिक मूल्यों और सामुदायिक सेवा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से सुसज्जित करके शिक्षित और प्रशिक्षित करना।

**ख)** क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं, जैव चिकित्सा और चिकित्सा विज्ञान में नवाचार और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा समाधानों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में उन्नत, बहु-विषयक अनुसंधान करना।

**ग)** उच्चतम मानकों की असाधारण, रोगी-केंद्रित देखभाल प्रदान करना, अति-विशेषज्ञता सेवाएँ, अत्याधुनिक नैदानिक सुविधाएँ और उपचार, रोकथाम और पुनर्वास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना।

**घ)** ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और चिकित्सा विज्ञान की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करना।

## 4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा के उद्देश्य

**क)** सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए एक आदर्श स्थापित करना, जिससे पूरे भारत में चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध संस्थानों के लिए एक उच्च मानक स्थापित हो।

**ख)** स्वास्थ्य सेवा के सभी क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों के विकास हेतु आधुनिक शिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित एक केंद्रीकृत केंद्र का निर्माण करना।

**ग)** स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और परीक्षाओं के संचालन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जिससे संस्थान की उच्च योग्य विशेषज्ञों को तैयार करने की क्षमता सुदृढ़ हो और बाहरी परीक्षा निकायों पर निर्भरता कम हो।

**घ)** जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की जनता को अत्याधुनिक तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।

## 5. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा के कार्य

### i. शिक्षा और प्रशिक्षण

**क)** चिकित्सा, नर्सिंग, दंत चिकित्सा और संबंधित भौतिक एवं जैविक विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना।

**ख)** पूरे भारत में संस्थानों के लिए चिकित्सा शिक्षकों का विकास और प्रशिक्षण।

**ग)** चिकित्सा शिक्षा पद्धतियों में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

**घ)** स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों में मानविकी शिक्षा को एकीकृत करना।

**ङ)** आधुनिक चिकित्सा और संबद्ध विज्ञानों में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना और निर्धारित करना।

### ii. अनुसंधान और नवाचार

**क)** सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से समुदाय-आधारित शिक्षण और अनुसंधान पहलों को प्रोत्साहित करना।

**ख)** चिकित्सा और संबंधित विज्ञानों में अत्याधुनिक अनुसंधान का संचालन करते हुए, विभिन्न शाखाओं में अंतःविषय अनुसंधान को सुगम बनाना।

**ग)** चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा।

### iii. स्वास्थ्य सेवाएँ

**क)** प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं को शामिल करते हुए व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।

**ख)** सामुदायिक पहुँच और क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य संगठनों की स्थापना करना।

### iv. शैक्षणिक प्रशासन

**क)** परीक्षाएँ आयोजित करना और डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना।

**ख)** प्रतिष्ठित शैक्षणिक को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर जैसे शैक्षणिक पदों की स्थापना करना।

### v. वित्त एवं शासन

**क)** सरकार एवं अन्य स्रोतों से अनुदान, दान, उत्तरदान और संपत्ति प्राप्त करना।

**ख)** संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान की संपत्ति और संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग करना।

**ग)** निर्धारित शुल्क और प्रभार लगाना और वसूलना।

**घ)** संस्थागत नियमों के अनुसार कर्मचारी आवास का निर्माण और आवास आवंटित करना।

**ङ)** केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर, आवश्यकतानुसार संस्थान की संपत्ति को सुरक्षा के रूप में उपयोग करते हुए, धन उधार लेना।

### vi. संस्थागत उन्नति

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा के उद्देश्यों को प्राप्त करने और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी उपाय और पहल करना, और शिक्षा, अनुसंधान एवं रोगी देखभाल में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना।

# वैधानिक निकाय

# अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा का प्रशासनिक ढाँचा

1. **प्रशासनिक ढाँचा:** संस्थान का प्रशासन निम्नलिखित प्रावधानों के तहत किया जा रहा है: -

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, 1958

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 1999

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 2019

2. **संस्थान निकाय**: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा संशोधित किया गया है, केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संस्थान निकाय का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| **क्रम संख्या** | **संस्थान निकाय का नाम अध्यक्ष/सदस्य** | **नियुक्ति** | **अधिसूचना संख्या एवं दिनांक** |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रो (डॉ.) प्रमोद गर्ग,<br>प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष,<br>गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग,<br>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,<br>नई दिल्ली | अध्यक्ष | भारत का राजपत्र अधिसूचना F.N.Z-28016/145/2020-PMSSY-IV दिनांक 18 नवंबर 2020 |
| 2. | श्री शेर सिंह घुबाया,<br>संसद सदस्य, लोकसभा | सदस्य | भारत का राजपत्र अधिसूचना संख्या F.No. Z-28016/145/2020-PMSSY-IV दिनांक 22 अगस्त 2024 |
| 3. | श्री जुगल किशोर शर्मा,<br>संसद सदस्य, लोकसभा | सदस्य | |
| 4. | प्रो (डॉ.) रवींद्र कुमार सिन्हा,<br>पूर्व कुलपति,<br>श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय,<br>कटरा, जम्मू और कश्मीर | सदस्य | भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या F.No. Z-28016/145/2020-PMSSY-IV दिनांक 18 नवंबर 2020 |
| 5. | प्रो (डॉ.) सुनीता शर्मा,<br>स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, | पदेन सदस्य | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | भारत सरकार | | |
| 6. | श्री होबेदा अब्बास,<br>अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार,<br>(वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य | |
| 7. | श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव,<br>भारतीय प्रशासनिक सेवा,<br>सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार | पदेन सदस्य | |
| 8. | श्री अटल डुल्लू, भारतीय प्रशासनिक सेवा,<br>मुख्य सचिव,<br>जम्मू और कश्मीर | पदेन सदस्य | |
| 9. | श्री त्रिलोकी नाथ राजदान,<br>वरिष्ठ अधिवक्ता चैंबर संख्या 88,<br>पुराना खंड, सर्वोच्च न्यायालय,<br>नई दिल्ली | सदस्य | |
| 10. | प्रो (डॉ.) गोवर्धन दत्त पुरी<br>पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष,<br>एनेस्थीसिया विभाग,<br>पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ | सदस्य | |
| 11. | डॉ. सामिया राशिद,<br>पूर्व प्रधानाचार्या,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | सदस्य | |
| 12. | डॉ. नीलेश कुमार जैन,<br>प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान | सदस्य | |
| 13. | डॉ. नूर अली,<br>पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष,<br>कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक शल्य चिकित्सा | सदस्य | |

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
|  | विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) |  |  |
| 14. | प्रो. मनोज सिंह गौर,<br>निदेशक,<br>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू,<br>(शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य | भारत का राजपत्र अधिसूचना संख्या F.No. Z-28016/145/2020-PMSSY-IV दिनांक 29 जनवरी 2021 |
| 15. | प्रो. के.एस. रंगप्पा,<br>पूर्व महासचिव,<br>भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ | सदस्य |  |
| 16. | प्रो (डॉ.) सचिदानंद मोहंती,<br>कार्यकारी निदेशक,<br>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा | सदस्य सचिव (पदेन) | भारत का राजपत्र अधिसूचना संख्या F.No. Z-28016/145/2020-PMSSY-IV दिनांक 18 नवंबर 2020 |

संस्थान निकाय की पहली बैठक 30-09-2024 को आयोजित की गई, जिसमें अन्य के अलावा, शासी निकाय, स्थायी वित्त समिति, स्थायी चयन समिति, स्थायी शैक्षणिक समिति, स्थायी संपदा समिति और स्थायी चिकित्सालय मामलों की समिति का गठन किया गया।

**3. विभिन्न समितियों का गठन:** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा के कार्यों को विनियमित करने के लिए शासी निकाय और स्थायी समितियों सहित विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। इस प्रकार गठित विभिन्न समितियों की सूची नीचे दी गई है:

**क) शासी निकाय (जीबी):** संस्थान का शासी निकाय संस्थान की कार्यकारी समिति है और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो संस्थान इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदान या अधिरोपित करे। शासी निकाय में निम्नलिखित 11 सदस्य होते हैं:

| **क्रम संख्या** | **शासी निकाय में पद** | **सदस्य** |
|---|---|---|
| 1. | संस्थान के अध्यक्ष | प्रो (डॉ.) प्रमोद गर्ग,<br>प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष,<br>गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग,<br>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,<br>नई दिल्ली |

<table>
<tr><td>2.</td><td>स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (पदेन)</td><td colspan="2">प्रो (डॉ.) सुनीता शर्मा,<br>स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि (पदेन)</td><td colspan="2">श्री होबेदा अब्बास,<br>अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार,<br>(वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>संसदीय सदस्य</td><td colspan="2">श्री जुगल किशोर शर्मा,<br>संसद सदस्य, लोकसभा</td></tr>
<tr><td rowspan="5">5.</td><td rowspan="5">संस्थान निकाय के छह सदस्य:</td><td>I.</td><td>श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव,<br>भारतीय प्रशासनिक सेवा,<br>सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार</td></tr>
<tr><td>II.</td><td>श्री अटल डुल्लू,<br>भारतीय प्रशासनिक सेवा,<br>मुख्य सचिव,<br>जम्मू और कश्मीर (पदेन)</td></tr>
<tr><td>III.</td><td>प्रो (डॉ.) रवींद्र कुमार सिन्हा,<br>पूर्व कुलपति,<br>श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय,<br>कटरा, जम्मू और कश्मीर</td></tr>
<tr><td>IV.</td><td>डॉ. सामिया राशिद,<br>पूर्व प्रधानाचार्या,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)</td></tr>
<tr><td>V.</td><td>डॉ. नीलेश कुमार जैन,<br>प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष,<br>यूरोलॉजी विभाग,</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान |
| | | VI. | डॉ. नूर अली,<br>पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक शल्य चिकित्सा विभाग,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>जम्मू (जम्मू और कश्मीर) |
| 6. | सदस्य-सचिव (पदेन) | प्रो (डॉ.) सचिदानंद मोहंती,<br>कार्यकारी निदेशक,<br>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,<br>अवंतीपोरा | |

**ख) स्थायी वित्त समिति (एसएफसी):** स्थायी वित्त समिति का गठन संस्थान के विभिन्न वित्तीय मामलों को पारित करने और उनकी जाँच करने के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: -

(i) संस्थान की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाले वार्षिक खाते, साथ ही उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(ii) संस्थान की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाला बजट अनुमान।

(iii) नए पदों के सृजन के सभी प्रस्ताव।

(iv) संस्थान से संबंधित सभी वित्तीय मामले।

(v) निविदाओं के आमंत्रण और स्वीकृति से संबंधित सभी मामले।

| **क्रम संख्या** | **नाम और पदनाम** | **एसएफसी में स्थिति** |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव,<br>भारतीय प्रशासनिक सेवा,<br>सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार (पदेन) | अध्यक्ष |
| 2. | श्री अटल डुल्लू,<br>भारतीय प्रशासनिक सेवा,<br>मुख्य सचिव,<br>जम्मू और कश्मीर (पदेन) | उपाध्यक्ष |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | श्री होबेदा अब्बास,<br>अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार,<br>(वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 4. | प्रो (डॉ.) रवींद्र कुमार सिन्हा,<br>पूर्व कुलपति,<br>श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा,<br>जम्मू और कश्मीर | सदस्य |
| 5. | प्रो. मनोज सिंह गौर,<br>निदेशक,<br>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू,<br>(शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि) (पदेन) | सदस्य |
| 6. | डॉ. सामिया राशिद,<br>पूर्व प्रधानाचार्या,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | सदस्य |
| 7. | श्री त्रिलोकी नाथ राजदान,<br>वरिष्ठ अधिवक्ता,<br>चैंबर नंबर 88, पुराना खंड,<br>सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली | सदस्य |
| 8. | प्रो (डॉ.) सचिदानंद मोहंती,<br>कार्यकारी निदेशक,<br>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा | सदस्य-सचिव (पदेन) |

**ग) स्थायी चयन समिति (एसएससी)**

| **क्रम संख्या** | **नाम और पदनाम** | **एसएससी में स्थिति** |
|---|---|---|
| 1. | प्रो (डॉ.) गोवर्धन दत्त पुरी<br>पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. सामिया राशिद,<br>पूर्व प्रधानाचार्या,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | उपाध्यक्ष |
| 3. | प्रो (डॉ.) सुनीता शर्मा,<br>स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार, (पदेन) | सदस्य |
| 4. | श्री जुगल किशोर शर्मा,<br>संसद सदस्य, लोकसभा | सदस्य |
| 5. | डॉ. नूर अली,<br>पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक शल्य चिकित्सा विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) | सदस्य |
| 6. | डॉ. नीलेश कुमार जैन,<br>प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>कोटा, राजस्थान | सदस्य |
| 7. | प्रो (डॉ.) सचिदानंद मोहंती,<br>कार्यकारी निदेशक,<br>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा | सदस्य-सचिव (पदेन) |

**घ) स्थायी शैक्षणिक समिति (एसएसी)**

| **क्रम संख्या** | **नाम एवं पदनाम** | **एसएसी में स्थिति** |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. सामिया राशिद,<br>पूर्व प्रधानाचार्या,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. नीलेश कुमार जैन,<br>प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>कोटा, राजस्थान | उपाध्यक्ष |
| 3. | प्रो (डॉ.) सुनीता शर्मा,<br>स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार, (पदेन) | सदस्य |
| 4. | प्रो (डॉ.) गोवर्धन दत्त पुरी<br>पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, | सदस्य |
| 5. | डॉ. नूर अली,<br>पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक शल्य चिकित्सा विभाग,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>जम्मू (जम्मू और कश्मीर) | सदस्य |
| 6. | प्रो (डॉ.) रवींद्र कुमार सिन्हा,<br>पूर्व कुलपति,<br>श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय,<br>कटरा, जम्मू और कश्मीर | सदस्य |
| 7. | प्रो. मनोज सिंह गौर,<br>निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू,<br>(शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि) (पदेन) | सदस्य |
| 8. | प्रो (डॉ.) सचिदानंद मोहंती,<br>कार्यकारी निदेशक,<br>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा | सदस्य-सचिव (पदेन) |

**ङ) स्थायी संपदा समिति (एसईसी)**

| क्रम संख्या: | नाम और पदनाम | नाम और पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री जुगल किशोर शर्मा,<br>संसद सदस्य, लोकसभा | अध्यक्ष |
| 2. | श्री अटल डुल्लू,<br>भारतीय प्रशासनिक सेवा,<br>मुख्य सचिव,<br>जम्मू और कश्मीर | सदस्य |
| 3. | प्रो (डॉ.) गोवर्धन दत्त पुरी<br>पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष,<br>एनेस्थीसिया विभाग,<br>पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ | सदस्य |
| 4. | प्रो (डॉ.) सुनीता शर्मा,<br>स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार (पदेन) | सदस्य |
| 5. | डॉ. सामिया राशिद,<br>पूर्व प्रधानाचार्या,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | सदस्य |
| 6. | प्रो (डॉ.) रवींद्र कुमार सिन्हा,<br>पूर्व कुलपति,<br>श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय,<br>कटरा, जम्मू और कश्मीर | सदस्य |
| 7. | डॉ. नूर अली,<br>पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक शल्य चिकित्सा विभाग,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>जम्मू (जम्मू और कश्मीर) | सदस्य |
| 8. | प्रो (डॉ.) सचिदानंद मोहंती,<br>कार्यकारी निदेशक,<br>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा | सदस्य-सचिव (पदेन) |

**च) स्थायी चिकित्सालयमामलों की समिति (एसएचएसी)**

| **क्रम संख्या:** | **नाम और पदनाम** | **एसएचएसी में स्थिति** |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. नूर अली,<br>पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक शल्य चिकित्सा विभाग,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>जम्मू (जम्मू और कश्मीर) | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. सामिया राशिद,<br>पूर्व प्रधानाचार्या,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | सदस्य |
| 3. | प्रो (डॉ.) सुनीता शर्मा,<br>स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>भारत सरकार (पदेन) | सदस्य |
| 4. | प्रो (डॉ.) रवींद्र कुमार सिन्हा,<br>पूर्व कुलपति,<br>श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय,<br>कटरा, जम्मू और कश्मीर | सदस्य |
| 5. | प्रो (डॉ.) गोवर्धन दत्त पुरी<br>पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख, एनेस्थीसिया विभाग,<br>पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ | सदस्य |
| 6. | डॉ. नीलेश कुमार जैन,<br>प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग,<br>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,<br>कोटा, राजस्थान | सदस्य |
| 7. | प्रो. मनोज सिंह गौर,<br>निदेशक,<br>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,<br>जम्मू, (शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 8. | प्रो (डॉ.) सचिदानंद मोहंती,<br>कार्यकारी निदेशक,<br>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा | सदस्य-सचिव (पदेन) |

# प्रशासनिक प्रतिवेदन

## सामान्य प्रशासन

## स्वीकृत पद और कार्यरत

**31 मार्च 2025 तक**

वित्त वर्ष 2024-25 में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक की स्वीकृत और कार्यरत संख्या इस प्रकार है:

| क्रम संख्या: | श्रेणी | स्वीकृत पद | स्थिति में (31.03.2025 तक) |
|---|---|---|---|
| 1. | परियोजना प्रकोष्ठ | 08 | 02 |
| 2. | शैक्षणिक | 94 | 00 |
| 3. | वरिष्ठ चिकित्सक और कनिष्क चिकित्सक | 80 | 00 |
| 4. | गैर-शैक्षणिक - नर्सिंग महाविद्यालय, चिकित्सालय सेवाएँ और प्रशासन | 164 | 00 |
| | **कुल** | **346** | **02** |

# परियोजना प्रकोष्ठ

**परियोजना प्रकोष्ठ पद का विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| निदेशक | - | प्रो (डॉ.) सचिदानंद मोहंती |
| चिकित्सा अधीक्षक | - | ---- |
| उप निदेशक (प्रशासन) | - | श्री मुकेश प्रसाद |
| वित्तीय सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) | - | लेफ्टिनेंट कर्नल डब्ल्यू.एस. सिद्धार्थ, वित्तीय सलाहकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश (मेंटर संस्थान) |
| | - | --- |
| अधीक्षण अभियंता | - | --- |
| कार्यकारी अभियंता (सिविल) | - | --- |
| कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | - | --- |
| लेखा अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) | - | श्री राजेंद्र कुमार, लेखा अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश (मेंटर संस्थान) |

**<u>प्रशासनिक प्रभाग मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:</u>**

1. रणनीतिक जनशक्ति नियोजन, भर्ती एवं समग्र मानव संसाधन प्रबंधन।
2. सामान्य प्रशासनिक मामलों की निगरानी।
3. परियोजना कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी।
4. शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों से संबंधित स्थापना संबंधी मामलों को संभालना।
5. संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित करना।
6. अनुशासनात्मक मामलों का प्रबंधन।
7. सतर्कता गतिविधियों की देखरेख।
8. अभियांत्रिकी और तकनीकी सेवाओं का पर्यवेक्षण।
9. भंडार, सूची और खरीद प्रक्रियाओं का प्रबंधन।
10. संसदीय प्रश्नों की तैयारी और उनका उत्तर देना।
11. संस्थान के वैधानिक निकायों की बैठकों का समन्वय।
12. प्रभावी संस्थागत कार्यप्रणाली का समर्थन करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन।
14. मंत्रालय या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना |

## चिकित्सालय परिसर

| 750 बिस्तरों वाले इस चिकित्सालय में निम्नलिखित खंड/विभाग शामिल होंगे: | | |
|---|---|---|
| **क)** | **चिकित्सालय खंड** | **बिस्तरों की संख्या** |
| | विशेषज्ञता विभाग | 284 |
| | अतिविशिष्टता विभाग | 401 |
| | अन्य सुविधाएँ: | 52 |
| | **कुल** | **737** |
| **ख)** | **आयुष खंड** | 30 |
| | **कुल योग** | **767** |

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा परियोजना का संक्षिप्त विवरण

| क्रम संख्या: | राजपत्र अधिसूचना की तिथि | 04 दिसंबर 2019 |
|---|---|---|
| 1. | स्वीकृत परियोजना लागत | 1828 करोड़ रुपये। (मुख्य कार्य हेतु 1577 करोड़ रुपये + निर्माण-पूर्व हेतु 42.5 करोड़ रुपये + चिकित्सा उपकरण हेतु 208.5 करोड़ रुपये (HITES के दायरे में) दिनांक 08.03.2019 |
| 2. | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण घटक लागत | 1649.37 करोड़ रुपये (PMSSY प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, पत्र संख्या A-28016/54/2015-SSH(Ph-IV) दिनांक 05-नवंबर-2020) |
| 3. | उपकरण घटक लागत | 259.18 करोड़ रुपये (संशोधित) |
| 4. | क्षेत्रफल | 1772 कनाल और 05 मरला |
| 5. | कार्यकारी संस्था | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग |
| 6. | ठेकेदार | M/s.नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी(एनसीसी) लिमिटेड |
| 7. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कार्यकारी संस्था के बीच समझौते की तिथि, | समझौता ज्ञापन दिनांक 07.12.2017 |
| 8. | कार्यकारी संस्था के बीच समझौता और ठेकेदार अनुबंध | अनुबंध संख्या 02-2020-21/EE&SM(c)-1/AIIMS/अवंतीपोरा/J&K. और आशय पत्र दिनांक 07.11.2023 |
| 9. | निर्धारित समय और आरंभ तिथि | 42 महीने और 23.11.2020 |
| 10. | परियोजना आरंभ की वास्तविक तिथि | 23.11.2020 |
| 11. | निर्धारित समय और समापन तिथि | 30.11.2025 |
| 12. | परियोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि | जून, 2026 |
| 13. | कार्य की वर्तमान स्थिति | कार्य प्रगति पर |
| 14. | निर्माण का संक्षिप्त विवरण | 1. चिकित्सालय खंड: 750 बिस्तरों वाला, बाह्य रोगी विभाग, अंतःरोगी विभाग, आयुष सहित<br>2. शैक्षणिक खंड: 100 स्नातक सीटें, चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, प्रशासनिक खंड। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. छात्रावास खंड - स्नातक छात्रावास-लड़के और लड़कियों के लिए नर्स छात्रावास, स्नातकोत्तर छात्रावास-लड़के और लड़कियां, विवाहित छात्रावास।<br>4. आवासीय खंड: निदेशक आवास, आवासीय आवास (टाइप-II, III, IV, V, VI, VII)<br>5. अन्य खंड - रात्रि आश्रय, पशु गृह, शव परीक्षण यूजीटी और एसटी, खरीदारी परिसर, अतिथि गृह सेवा खंड और दमकल स्टेशन और आवश्यक सुविधाएं। |

## नियोजित/प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का सारांश

| क्रम संख्या: | नियोजित/प्रदान की जाने वाली इमारतें | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य चिकित्सालय खंड (अंतःरोगी विभाग, बाह्य रोगी विभाग , ओटी, एमजीपीएस) | 750 बिस्तर |
| 2. | आयुष खंड | 30 बिस्तर |
| 3. | चिकित्सा महाविद्यालय | 100 प्रवेश |
| 4. | नर्सिंग महाविद्यालय | 60 प्रवेश |
| 5. | सभागार | 800+ सीटें |
| 6. | रात्रि आश्रय | 326 संख्या बिस्तर |
| 7. | खरीदारी परिसर | 02 संख्या |
| 8. | 300 छात्रों के लिए भोजन कक्ष | 3 संख्या |
| 9. | स्नातक छात्रावास लड़कों के लिए | 316 संख्या (बिस्तर क्षमता) |
| 10. | स्नातक छात्रावास लड़कियों के लिए | 260 संख्या (बिस्तर क्षमता) |
| 11. | स्नातकोत्तर छात्रावास लड़कों के लिए | 162 संख्या |
| 12. | स्नातकोत्तर छात्रावास लड़कियों के लिए | 116 संख्या |
| 13. | स्नातकोत्तर विवाहित छात्रावास | 64 संख्या |
| 14. | नर्स छात्रावास संख्या | 118 संख्या |
| 15. | छात्र नर्स छात्रावास संख्या | 288 संख्या (बिस्तर क्षमता) |
| 16. | निदेशक आवास संख्या | 01 संख्या (प्रकार -VIII) |
| 17. | आवास सुविधाएं प्रकार | VII, VI, V, IV, III, II |
| 18. | अतिथि गृह (कमरे और सुइट) संख्या | 29 संख्या |

## कार्यकारी संस्था (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ) द्वारा नियोजित एम्स अवंतीपोरा के विकासात्मक महत्वपूर्ण चरण

| | |
|---|---|
| **चरण** | भवन/कार्य के घटकों का निर्माण और संचालन, सभी संबद्ध ई और एम, सेवाओं और उपयोगिताओं के साथ पूरा किया जाना है । |
| **चरण -I : 6 महीने** | सभी पूर्व-निर्माण गतिविधियों को पूरा करना, सभी विशेष संस्थाओं की प्रस्तुति और अनुमोदन/संलग्नता, चिकित्सालय, शैक्षणिक, आयुष, रात्रि आश्रय और अन्य सेवा भवन के आरसीसी नींव कार्य (अर्थात जलरोधक) को पूरा करना (इन भवनों को कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक) |
| **चरण -II : 12 महीने** | सभी भवनों के लिए 100% आरसीसी नींव कार्य अर्थात जलरोधक (आधार स्तर तक), उत्कृष्ट संरचना अर्थात आयुष, रात्रि आश्रय और अन्य सेवा भवनों (इन भवनों को कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक) के ऊपरी सतह जलरोधकसह आतपन का कार्य पूरा करना, चिकित्सालय और शैक्षणिक भवन के दूसरे तल तक उत्कृष्ट संरचना का कार्य पूरा करना। |
| **चरण -III : 18महीने** | सभी भवनों के सतह जलरोधक एवं आतपन के ऊपर उत्कृष्ट संरचना का कार्य पूरा करना। आयुष, रात्रि आश्रय एवं अन्य सेवा भवन (इन भवनों को कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक) का समग्र रूप से पूरा होना और उसे सौंपना। ई और एम सेवाओं के 50% आदेश पूरे हो चुके हैं। गैर-आपूर्ति ई और एम और चिकित्सा कार्यों का 20% पूरा होना। |
| **चरण -IV : 30 महीने** | सभी भवनों के लिए भवन आवरण (बाहरी परिष्करण/ सामने का भाग) का कार्य पूर्ण करना, सभी भवनों में आंतरिक कार्यों (चिनाई कार्य, फर्श की झालर, दीवार की निचली परत, दीवार की परत, आंतरिक छत, दरवाजे/खिड़कियाँ, एल्युमीनियम कार्य, जल आपूर्ति, मल, जल निकासी व्यवस्था) का 60% पूर्ण करना। गैर-आपूर्ति ई और एम और चिकित्सा कार्यों का 60% पूर्ण करना। |
| **चरण -V : 36 महीने** | सभी भवनों के लिए भवन आवरण (बाहरी परिष्करण/ सामने का भाग) का पूरा होना, सभी भवनों में आंतरिक कार्यों (चिनाई कार्य, फर्श की झालर, दीवार की निचली परत, दीवार की परत, छत, दरवाजे/खिड़कियां, एल्युमीनियम कार्य, जल आपूर्ति, मल, जल निकासी प्रणाली) का 90% पूरा होना। विकास कार्यों का 90% पूरा होना अर्थात सभी ई और एम और चिकित्सा सेवाओं का एसआईटीसी। |
| **चरण -VI : 42 महीने** | सभी सिविल, विद्युतीय और यांत्रिक, चिकित्सीय, बागवानी कार्य सभी प्रकार से पूरे हो चुके हैं, अग्निशमन विभाग से एनओसी और स्थानीय निकायों से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। (सभी प्रकार से 100% पूर्ण) |
| **वर्तमान निर्माण स्थिति** | कार्य प्रगति पर है । |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा की वर्तमान निर्माण प्रगति, जैसा कि कार्यकारी संस्था (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग , परियोजना क्षेत्र एम्स अवंतीपोरा) द्वारा 31.03.2025 तक प्रस्तुत किया गया है, नीचे दी गई है:

1. वर्तमान समग्र भौतिक प्रगति (% में)- 63.5%

   मुख्य भवनों की भौतिक प्रगति:-

   क) चिकित्सालय भवन - 63%

   ख) शैक्षणिक भवन - 62.5%

   ग) छात्रावास आवास- 60.5%

   घ) बाह्य कार्य - 62%

   ङ) आवासीय आवास- 60.5%

2. वर्तमान वित्तीय स्थिति-

   क) निविदा लागत - 1649.37 करोड़ रुपये
   ख) बुक किया गया व्यय - 1276.63 करोड़ रुपये
   ग) वित्तीय प्रगति- निविदा लागत (% में) - 77.4 %

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा परियोजना के मुख्य कार्य के प्रारंभ की वास्तविक तिथि 23 नवंबर 2020 थी, और 42 महीनों की पूर्णता अवधि के साथ, परियोजना को मूल रूप से 22 मई 2024 तक पूरा किया जाना था। हालाँकि, स्थल सीमा से सटे भारतीय सेना प्रतिष्ठान द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद कार्य पर रोक लगाने और मास्टर प्लान में और संशोधनों के कारण, कार्यान्वयन संस्था द्वारा समय-सीमा को बाद में संशोधित कर 31 मार्च 2025 कर दिया गया। इन संशोधनों के कारण विभिन्न भवनों का स्थानांतरण और पुन: बनावट करना आवश्यक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मूल समय-सीमा चूक गई। कार्यान्वयन संस्था द्वारा बताई गई पूर्णता की संशोधित अपेक्षित तिथि जून 2026 है। तदनुसार, परियोजना के पूरा होने में दो वर्ष और एक महीने की अनुमानित देरी होगी।

# निर्माण अद्यतन

वर्ष 2024-25 के दौरान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा ने अपने स्थायी परिसर के बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरे हुए, जो संस्थान को जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शैक्षणिक खंड, चिकित्सालय परिसर, आवासीय आवास और विभिन्न छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने के लिए उन्नत चरण तक पहुँचना शामिल है, जो मिलकर शैक्षणिक निर्देश, नैदानिक सेवाओं और छात्र निवास के लिए आवश्यक मुख्य सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

भवन निर्माण के समानांतर, इस वर्ष के दौरान आवश्यक परिसर अवसंरचना का विकास–जिसमें आंतरिक सड़कें, वर्षा जल निकासी प्रणालियाँ, जल आपूर्ति नेटवर्क, अपशिष्ट जल और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ, सड़क प्रकाश व्यवस्था और बड़े पैमाने पर भूनिर्माण शामिल हैं–शुरू किया गया है। इन संबद्ध सेवाओं के पूरा होने से परिसर की पहुँच, संपर्कता और कार्यात्मक वातावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिससे भविष्य में विस्तार और कुशल सेवा वितरण की नींव तैयार होगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा इस प्रमुख परियोजना के क्रियान्वयन में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ) की अटूट प्रतिबद्धता, तकनीकी विशेषज्ञता और पेशेवर निरीक्षण के लिए उनकी गहरी सराहना करता है। संस्थान नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनसीसी) द्वारा कार्य अनुशासन बनाए रखने, कार्यस्थल पर गतिविधियों का समन्वय करने और विभिन्न हितधारकों के साथ सुचारू सहयोग सुनिश्चित करने में दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है। उनके संयुक्त प्रयासों ने परियोजना की गति बनाए रखने और गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इन निरंतर प्रगति के साथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा एक विश्वस्तरीय संस्थान बनने के अपने लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है जो इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा, जैव चिकित्सा अनुसंधान और रोगी देखभाल के परिदृश्य को बदल देगा। सभी सहयोगी संस्थाओं का निरंतर समर्पण, उत्कृष्टता और निष्ठा के साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों की सेवा करने के संस्थान के संकल्प को और मजबूत करता है।

<u>**चिकित्सालय  खंड प्रवेश द्वार का दृश्य**</u>

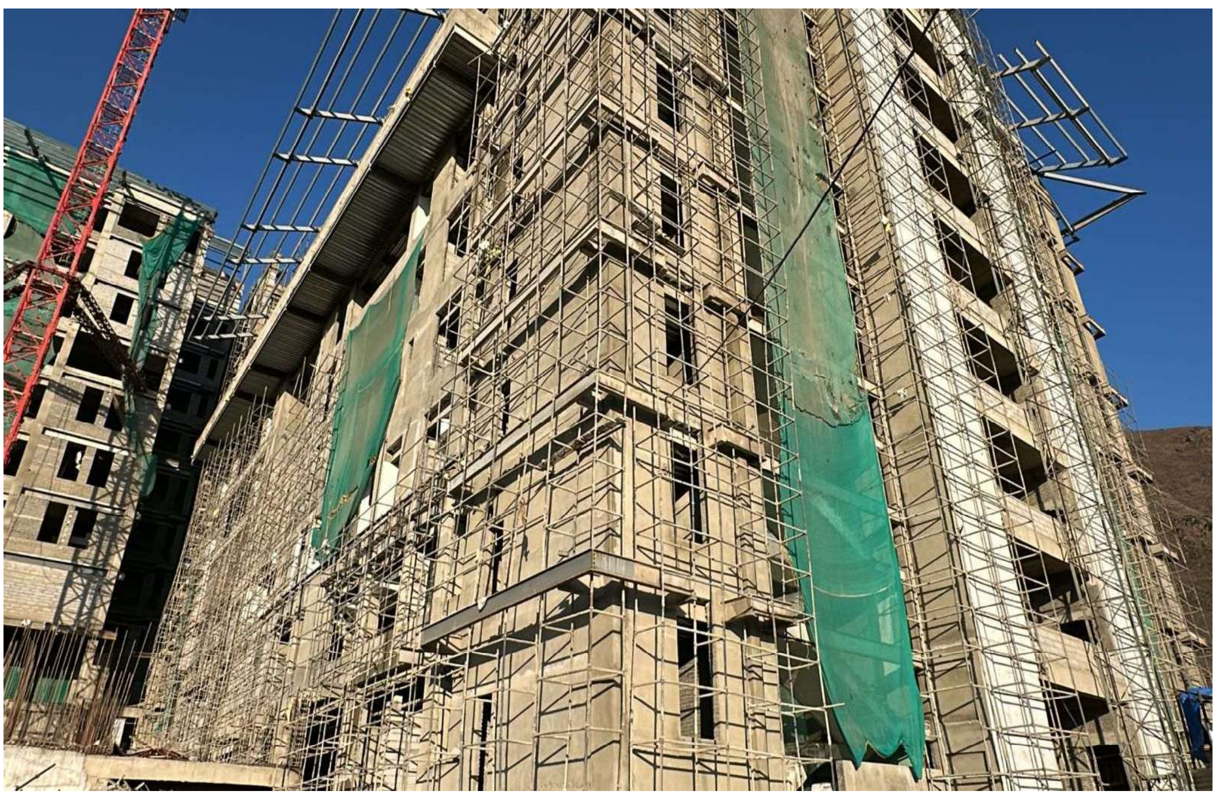

<u>**चिकित्सालय  खंड 02**</u>

**<u>चिकित्सालय  खंड 03</u>**

**<u>चिकित्सालय  खंड 04</u>**

**चिकित्सालय खंड 05**

**चिकित्सालय खंड 06**

<u>चिकित्सालय  का हवाई दृश्य</u>

<u>आयुष खंड</u>

**प्रशासनिक खंड**

**शैक्षणिक खंड 6ए**

**<u>शैक्षणिक खंड 6बी</u>**

**<u>शैक्षणिक खंड 6सी</u>**

**<u>शैक्षणिक खंड 6डी</u>**

**<u>शैक्षणिक खंड 6ई</u>**

**<u>स्नातक लड़कों का छात्रावास 12ए</u>**

**<u>स्नातक लड़कों का छात्रावास 12बी</u>**

**स्नातक लड़कों का छात्रावास 13ए**

**स्नातक लड़कों का छात्रावास 13बी**

**स्नातकोत्तर विवाहित छात्रावास 14ए**

**स्नातकोत्तर विवाहित छात्रावास 14बी**

**<u>स्नातक छात्राओं का छात्रावास 15ए</u>**

**<u>स्नातक छात्राओं का छात्रावास 15बी</u>**

**<u>स्नातकोत्तर छात्राओं का छात्रावास 16ए</u>**

**<u>स्नातकोत्तर छात्राओं का छात्रावास 16बी</u>**

**<u>नर्सों का छात्रावास 17ए</u>**

**<u>सभाघर खंड</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 2</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 3</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 4 (खंड ए)</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 4 (खंड बी)</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 4 (खंड सी)</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 5 (खंड ए)</u>**

<u>आवासीय आवास प्रकार 5 (खंड बी)</u>

<u>आवासीय आवास प्रकार 5 (खंड सी)</u>

**<u>आवासीय आवास प्रकार 6 (खंड ए)</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 6 (खंड बी)</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 6 (खंड सी)</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 6 (खंड डी)</u>**

**<u>आवासीय आवास प्रकार 7 (खंड ए)</u>**

**<u>आवासी55य आवास प्रकार 7 (खंड बी)</u>**

**आवासीय आवास प्रकार 7 (खंड सी)**

**आवासीय आवास प्रकार 8**

**रात्रि आश्रय**

**अतिथि गृह**

**खरीदारी परिसर 8बी**

**पुलिस स्टेशन**

**<u>सभागार</u>**

**<u>प्रवेश द्वार कक्ष</u>**

**<u>ईएसएस 1</u>**

**<u>ईएसएस 2</u>**

**ईएसएस 3**

**ईएसएस 4**

# आधिकारिक दौरे

वर्ष के दौरान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा को कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने का गौरव प्राप्त हुआ, जिनके दौरों ने जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा भविष्य को आकार देने में संस्थान के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। इन उच्च-स्तरीय मुलाकातों ने न केवल परियोजना के रणनीतिक महत्व को उजागर किया, बल्कि इसके विकास को नई गति भी प्रदान की।

**17 मई 2024** को, संस्थान को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के **सचिव श्री अपूर्व चंद्रा** की मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके साथ **डॉ. सैयद आबिद राशिद शाह**, सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जम्मू-कश्मीर भी थे। गणमान्य व्यक्तियों ने परियोजना की विस्तृत समीक्षा की, प्रमुख निर्माण स्थलों का दौरा किया और शैक्षणिक, आवासीय और चिकित्सालय सुविधाओं की तैयारी का आकलन करने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उनके अवलोकन, प्रगति की सराहना और रचनात्मक मार्गदर्शन ने सभी कार्यान्वयन संस्थाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया।

इसके बाद, **8 जुलाई 2024** को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा के **अध्यक्ष, प्रो (डॉ.) प्रमोद गर्ग** ने संस्थान का दौरा किया और चल रही विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा की तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में संस्थागत तैयारियों का आकलन किया। उनके इस दौरे से नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई और प्रशासनिक एवं अवसंरचनात्मक प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए बहुमूल्य दिशा-निर्देश प्राप्त हुए।

बाद में, **19 नवंबर 2024** को, जम्मू और कश्मीर की माननीय स्वास्थ्य मंत्री **सुश्री सकीना इटू** ने बुनियादी ढांचे के विकास की गति और पैमाने की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए परिसर का दौरा किया। उन्होंने कार्यों की तीव्र प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और संस्थान की समय पर स्थापना के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

गहरी रुचि, विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और मजबूत संस्थागत प्रोत्साहन से चिह्नित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की इन यात्राओं ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा को चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल में विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र बनने के अपने दृष्टिकोण के करीब ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान इस सामूहिक समर्थन को जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए प्रभावशाली प्रगति में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

**<u>श्री अपूर्व चंद्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. सैयद आबिद रशीद, सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार।</u>**

**<u>श्री अपूर्व चंद्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. सैयद आबिद रशीद, सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार।</u>**

<u>**प्रोफेसर (डॉ.) प्रमोद गर्ग, अध्यक्ष एम्स अवंतीपोरा**</u>

<u>**प्रोफेसर (डॉ.) प्रमोद गर्ग, अध्यक्ष एम्स अवंतीपोरा**</u>

**<u>सुश्री सकीना मसूद इट्टू, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जम्मू-कश्मीर</u>**

**<u>सुश्री सकीना मसूद इट्टू, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जम्मू-कश्मीर</u>**

## घटनाक्रम की संक्षिप्त समय सीमा

**1. <u>मंत्रिमंडल की मंज़ूरी:</u>** भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांकित राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 04 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत कश्मीर घाटी के अवंतीपोरा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंज़ूरी दे दी। यह पहल भारत सरकार द्वारा किफायती, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और साथ ही देश के वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है।

**2. <u>परियोजना विवरण:</u>** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा, को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत ₹1,828 करोड़ की स्वीकृत परियोजना लागत से, जिला पुलवामा में 1,772 कनाल और 5 मरला भूमि पर 750 बिस्तरों वाले एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

संस्थान में एक अत्याधुनिक चिकित्सालय परिसर, एक शैक्षणिक और प्रशासनिक खंड, छात्रावास और आवासीय सुविधाएँ, और सहायक बुनियादी ढाँचा शामिल होगा। इसमें 10 विशेषज्ञता और 11 अति-विशेषज्ञता विभाग होंगे, जिन्हें 16 उन्नत शल्य चिकित्सा कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

चिकित्सा महाविद्यालय में 100 एमबीबीएस सीटें होंगी, जबकि नर्सिंग महाविद्यालय में 60 बीएससी नर्सिंग सीटें होंगी। पूरा होने पर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए चिकित्सा शिक्षा, रोगी देखभाल और जैव चिकित्सा अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

**3. <u>संरक्षक संस्थान और प्रारंभिक गतिविधियाँ:</u>** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश को अगस्त 2019 में इसका मार्गदर्शक संस्थान नियुक्त किया गया था। तब से, इसने संस्थान के प्रारंभिक चरणों में मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मार्गदर्शक संस्थान ने परियोजना प्रकोष्ठ के पदों के लिए प्रमुख कार्मिकों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह सुनिश्चित किया है कि आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों को पर्याप्त सहायता मिले। इसने संस्थान के सुचारू प्रशासनिक संचालन के लिए संगणक (कंप्यूटर) और मुद्रक (प्रिंटर) जैसे आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद में सहायता करके बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

# वित्त प्रतिवेदन

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा
जम्मू कश्मीर-192122
All India Institute of Medical Sciences, Awantipora
Jammu & Kashmir-192122

AIIMS/AWNT/2025/64 09 जुलाई 2025

सेवा में,

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय)
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
लेखा परीक्षा भवन
सेक्टर 17 ई, चण्डीगढ़

विषय: **वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपोरा के वार्षिक खातों का लेखा परीक्षण।**

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा के वार्षिक खातों की मूल प्रतियां (दो प्रतियां) संलग्न प्राप्त करें, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क. बैलेंस शीट
ख. आय एवं व्यय लेखा
ग. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
घ. अनुसूची (1 से 25) सहित खातों पर टिप्पणियां

इसके अतिरिक्त, यह अवगत कराया जाता है कि खातों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिन्हें बाद में संचालन निकाय/प्रबंधन बोर्ड/कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें ।

भवदीय,

**हस्त/-**
उप निदेशक (प्रशासन)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार

सूचनार्थ प्रति:

1. कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अवंतीपोरा
2. वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली (वर्तमान मार्गदर्शक संस्थान)

# वार्षिक लेखा

# वित्तीय वर्ष 2024-25

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

## अवंतीपोरा

# अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
# अवंतीपोरा

(मार्गदर्शक संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश)

## आवक और जावक खाता वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2025 के लिए

(राशि-रु.)

| रसीद | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| (क) प्रारंभिक शेष | | | (क) बहिर्वाह | | |
| पंजाब नेशनल बैंक खाता | | | **स्थापना खर्च:-** | | |
| #6189000100059775 | - | 85,04,584.00 | i) वेतन | 72,64,130.00 | 26,14,457.00 |
| | | | ii) अधिगम संसाधन भत्ता | 1,49,406.00 | - |
| | | | iii) बच्चों की शिक्षा भत्ता | - | - |
| | | | iv) पेंशन और अवकाश वेतन योगदान | | 7,57,072.00 |
| | | | v) अन्य अवकाश यात्रा भत्ता | 98,250.00 | |
| | | | **अन्य प्रशासनिक खर्च** | - | |
| | | | (क) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क | | 1,138.00 |
| | | | i)टेलीफोन खर्च | 26,047.00 | 14,877.00 |
| | | | ii)अखबार खर्च | 12,900.00 | 4,500.00 |
| | | | (ख़)यात्रा और परिवहन व्यय | | |
| | | | i) स्थानांतरण यात्रा भत्ता | 1,46,510.00 | |
| | | | ii) यात्रा भत्ता | 6,47,963.00 | 5,54,628.00 |
| | | | iii) क्षमता निर्माण | - | - |
| | | | **(ग)पेशेवर शुल्क** | | |
| | | | (i) मानव शक्ति किराए पर लेना | 2,05,879.00 | 8,27,504.00 |
| | | | ii) जीएसटी और आयकर रिटर्न भरने के खर्च | 63,720.00 | 55,860.00 |
| | | | **घ) आतिथ्य/मनोरंजन खर्च** | | 12,972.00 |
| | | | **ड) ब्रीफकेस प्रतिपूर्ति** | - | 3,300.00 |
| | | | **च) आकस्मिक खर्च** | 89,303.00 | 19,672.00 |
| | | | i) विज्ञापन और प्रचार | 9,266.00 | |
| | | | ii) विविध खर्च | 7,458.00 | |
| | | | **छ) TDS जीएसटी भुगतान** | 12,655.00 | 11,520.00 |
| | | | झ) अन्य भुगतान: | | |
| | | | (i) TDS (आयकर) जमा | 17,43,340.00 | 5,93,785.00 |
| | | | (ii) भारत कोष में स्थानांतरित ब्याज - - | - | - |
| | | | (iii) आकस्मिक अग्रिम - - | - | - |
| | | | (iv) GIA समर्पित | 30,19,796.00 | 1,54,67,900.00 |
| | | | (v) मुद्रण और स्टेशनरी | 16,110.00 | 6,010.00 |
| | | | (vi) वाहन किराए पर लेना | 35,748.00 | |
| | | | कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद | 5,98,362.00 | |
| कुल(क) | - | 85,04,584.00 | कुल(क) | 1,41,46,843.00 | 2,09,45,195.00 |
| (ख़) प्रवाह | | | (ख़)समापन शेष | | |
| बिक्री/सेवा से आय :- | | | पीएनबी खाता | 7,89,575.00 | - |
| अनुदान रसीद: | | | #6189000100059775 | | |
| जीआईए - पूंजी | 10,00,000.00 | 25,00,000.00 | | | |
| जीआईए - सामान्य | 35,00,000.00 | 30,00,000.00 | | | |
| जीआईए - वेतन | 85,00,000.00 | 50,00,000.00 | | | |
| जीआईए - एसएपी | - | - | | | |
| ब्याज आय: | | | | | |
| अर्जित ब्याज | 20,423.00 | 4,05,226.00 | | | |
| अन्य रसीदें: | | | | | |
| टीडीएस (आईटी) एकत्र किया गया | 19,03,340.00 | 5,28,785.00 | | | |
| आकस्मिक अग्रिम की वसूली - | - | 9,95,080.00 | | | |
| टीडीएस जीएसटी संग्रह | 12,655.00 | 11,520.00 | | | |
| **कुल(ख़)** | 1,49,36,418.00 | 1,24,40,611.00 | **कुल(ख़)** | 7,89,575.00 | - |
| | | | | | |
| **कुल(क+ख)** | 1,49,36,418.00 | 2,09,45,195.00 | | 1,49,36,418.00 | 2,09,45,195.00 |

**हस्त/-**
कलश जोशी
**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)**

**हस्त/-**
राजेंद्र कुमार
**(आहरण और वितरण अधिकारी)**

**हस्त/-**
चाँद राम
**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)**

**हस्त/-**
प्रो (डॉ.) सच्चिदानन्द मोहंती
**(कार्यकारी निदेशक)**

## 31 मार्च 2025 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

**(राशि-रु.)**

| **पूंजी निधि एवं देयताएँ** | **अनुसूची** | **चालू वर्ष** | **पिछला वर्ष** |
|---|---|---|---|
| पूंजी निधि | 1 | 3,43,46,76,391.60 | -51,467.00 |
| आरक्षित निधि एवं अधिशेष | 2 | - | - |
| निर्धारित दान निधि | 3 | - | - |
| सुरक्षित ऋण एवं उधार | 4 | | - |
| असुरक्षित ऋण एवं उधार | 5 | | - |
| स्थगित देयताएँ | 6 | | - |
| वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान | 7 | 27,96,565.00 | 51,468.00 |
| **कुल** | | **3,43,74,72,956.60** | **1.00** |
| **संपत्तियाँ** | | | |
| स्थायी संपत्तियाँ | 8 | 3,43,66,83,381.60 | 1.00 |
| निर्धारित दान निधि से निवेश | | | |
| निधि | 9 | - | - |
| अन्य निवेश | 10 | - | - |
| चालू संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि | 11 | 7,89,575.00 | - |
| विविध व्यय | | | - |
| (जिस सीमा तक समायोजित या लिखित रूप से समाप्त नहीं किया गया है) | | | |
| **कुल** | | **3,43,74,72,956.60** | **1.00** |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ - अनुसूची 24 | 24 | - | - |
| आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा टिप्पणियाँ | 25 | - | - |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम | प्रो (डॉ.) सच्चिदानन्द मोहंती |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** | **(कार्यकारी निदेशक)** |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता**

**(राशि-रु.)**

| **आय** | **अनुसूची** | **चालू वर्ष** | **पिछला वर्ष** |
|---|---|---|---|
| बिक्री/सेवाओं से आय | 12 | | - |
| अनुदान/अनुवृत्ति | 13 | 1,20,00,000.00 | 95,00,000.00 |
| शुल्क/सदस्यता | 14 | | - |
| निवेश से आय (आवंटित/प्रतिष्ठापन निधियों से निधि में स्थानांतरित निवेश पर आय) | 15 | | - |
| रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय | 16 | | - |
| अर्जित ब्याज | 17 | 20,423.00 | 4,05,226.00 |
| अन्य आय | 18 | | - |
| तैयार माल और कार्य-प्रगति के स्टॉक में वृद्धि/(घटाव) | 19 | | - |
| **कुल(क)** | | 1,20,20,423.00 | 99,05,226.00 |
| **व्यय** | | | |
| स्थापना खर्च | 20 | 99,05,637.00 | 30,98,591.00 |
| अन्य प्रशासनिक खर्च आदि | 21 | 14,52,150.00 | 14,06,787.00 |
| अनुदान, अनुवृत्ति आदि पर व्यय | 22 | - | - |
| ब्याज | 23 | - | - |
| मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल - अनुसूची 8 के अनुसार) | 8 | 1,19,672.40 | - |
| **कुल(ख़)** | | 1,14,77,459.40 | 45,05,378.00 |
| **संपत्ति शेष आय और व्यय के अधिक होने पर (क-ख़)** | | 5,42,963.60 | 53,99,848.00 |
| विशेष आरक्षित में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें) | | - | - |
| सामान्य आरक्षित में/से स्थानांतरण | | | |
| **अधिशेष/(घाटा) शेष को कोष/पूंजी निधि में स्थानांतरित किया गया** | | 5,42,963.60 | 53,99,848.00 |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, | 24 | - | - |
| संभावित देनदारियां और खातों पर टिप्पणियाँ | 25 | - | - |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम | प्रो (डॉ.) सच्चिदानन्द मोहंती |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** | **(कार्यकारी निदेशक)** |

**31 मार्च, 2025 की स्थिति में बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाला अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| | चालू वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 1- कोष/पूंजी कोष:** | | | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि- | -51,467.00 | 3,43,46,76,391.60 | 75,16,585.00 | -51,467.00 |
| जोड़ें:- 31.03.2025 तक मंत्रालय द्वारा भुगतान की गई राशि से CPWD द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय (फॉर्म-65 के अनुसार) | 3,43,62,04,691.00 | | - | |
| जोड़ें:- वर्ष के दौरान प्राप्त GIA (पूंजी निर्माण) | 10,00,000.00 | - | 25,00,000,.00 | - |
| घटाएँ:- आय और व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय/(व्यय) का शेष | 5,42,963.60 | - | 53,99,848.00 | - |
| घटाएँ:- वित्तीय वर्ष 2024-25 तक अप्रयुक्त GIA शेष (ब्याज सहित) समर्पित | 30,19,796.00 | | 1,54,67,900.00 | |
| **वर्ष के अंत तक शेष** | | **3,43,46,76,391.60** | | **-51,467.00** |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 की स्थिति में बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाला अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 2 -आरक्षित और अधिशेष:** | **चालू वर्ष** | | **पिछला वर्ष** | |
|---|---|---|---|---|
| **1. पूंजी आरक्षित:** | | | | |
| पिछले खाते के अनुसार | - | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | - | - | - |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | | - | |
| **2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:** | | | | |
| पिछले खाते के अनुसार | - | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | - | - | - |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | | - | |
| **3. विशेष आरक्षित:** | | | | |
| पिछले खाते के अनुसार | - | | - | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | - | - | - |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | | - | |
| **4. सामान्य आरक्षित:** | | - | | - |
| पिछले खाते के अनुसार | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | | - | |
| (i) वर्तमान वर्ष के आय और | | | | |
| व्यय खाते से स्थानांतरित | | - | | - |
| अधिशेष/घाटा | - | | - | |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ: | - | | - | |
| (i) पूंजी कोष में शेष राशि | | | | |
| का स्थानांतरण (अनुसूची 1) | | | | |
| **कुल** | | - | | - |

**हस्त/-**
कलश जोशी
**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)**

**हस्त/-**
राजेंद्र कुमार
**(आहरण और वितरण अधिकारी)**

**हस्त/-**
चाँद राम
**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)**

## 31 मार्च, 2025 की स्थिति में बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाला अनुसूची

**(राशि-रु.)**

| अनुसूची 3-निर्धारित/दान निधियां | निधि के हिसाब से विवरण | | | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जीआईए-जनरल निधि | XX निधि | YY निधि | ZZ निधि | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
| **क) निधियों की उद्घाटन शेष राशि-** | | | | | | |
| **ख) निधियों में वृद्धि:** | | | | | | |
| i. दान/अनुदान | | | | | | - |
| ii.निधियों के खाते पर किए गए निवेश से आय | | | | | | |
| iii.अन्य वृद्धि (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- | - | - | - | - | - | - |
| पिछले वर्षों का अप्रयुक्त शेष | - | - | - | - | - | - |
| राशि GIA-जनरल के तहत | - | - | - | - | - | - |
| **घटाएं:** निधि को अनुसूची-13 में | - | - | - | - | - | 1500000 |
| हस्तांतरित किया गया | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | -1500000 |
| **कुल (क+ ख)** | - | - | - | - | - | |
| **(ग) निधि के उद्देश्यों की ओर इस्तेमाल/व्यय** | | | | | | |
| i. पूंजी व्यय | | | | | | |
| स्थायी संपत्तियाँ- | - | - | - | - | - | - |
| अन्य- | - | - | - | - | - | - |
| कुल | - | - | - | - | - | - |
| ii. राजस्व व्यय | | | | | | |
| वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि | | | | | | |
| किराया | | | | | | |
| अन्य प्रशासनिक खर्च- | | | | | | |
| कुल | | | | | | |
| **कुल(ग)** | - | - | - | - | - | - |
| **वर्ष के अंत का योगफल (क+ ख- ग)** | - | - | - | - | - | - |
| नोट्स<br>1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षकों के तहत प्रकटीकरण किए जाने चाहिए।<br>2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दिखाया जाना चाहिए और किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी:** | **चालू वर्ष** | | **पिछले वर्ष** | |
|---|---|---|---|---|
| 1. केंद्रीय सरकार | - | - | - | - |
| 2. राज्य सरकार (निर्धारित करें) | - | - | - | - |
| 3. वित्तीय संस्थान: | | | | |
| क) अवधि ऋण | - | - | - | - |
| ख) ब्याज राशि जो देय है और लागू है | - | - | - | - |
| 4. बैंक: | | | | |
| क) अवधि ऋण | - | - | - | - |
| ब्याज राशि जो देय है और लागू है | | | | |
| ख) अन्य ऋण (निर्धारित करें) | - | - | - | - |
| ब्याज राशि जो देय है और लागू है | | | | |
| 5. अन्य संस्थान और एजेंसियां | | | | |
| 6. डिबेंचर और बॉन्ड | | | | |
| 7. अन्य (निर्धारित करें) | | | | |
| **कुल** | - | - | - | - |
| **नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि** | | | | |

**हस्त/-**
कलश जोशी
**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)**

**हस्त/-**
राजेंद्र कुमार
**(आहरण और वितरण अधिकारी)**

**हस्त/-**
चाँद राम
**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)**

**31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधारी** | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| 1. केंद्रीय सरकार | - | - |
| 2. राज्य सरकार (विशेष रूप से उल्लेख करें) | - | - |
| 3. वित्तीय संस्थाएँ | - | - |
| 4. बैंक: | | |
| क) अवधि ऋण | - | - |
| ख) अन्य ऋण (विशेष रूप से उल्लेख करें) | - | - |
| 5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ | - | - |
| 6. डिबेंचर और बॉन्ड | - | - |
| 7. सावधि जमा | - | - |
| 7. अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें) | - | - |
| **कुल** | - | - |
| **नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि** | | |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 6- स्थगित जमा दायित्व:** | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| क) पूंजी उपकरण और अन्य संपत्तियों के गिरवी रखने द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियाँ | - | - |
| ख) अन्य | - | - |
| **कुल** | - | - |
| **नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि** | | |

**हस्त/-**
कलश जोशी
**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)**

**हस्त/-**
राजेंद्र कुमार
**(आहरण और वितरण अधिकारी)**

**हस्त/-**
चाँद राम
**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)**

## 31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान** | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| क) **वर्तमान देयताएं** | | |
| 1. स्वीकृतियाँ | - | - |
| 2. विविध लेनदार: | | |
| क) माल के लिए | - | - |
| ख) अन्य | - | - |
| 3. अग्रिम प्राप्त | - | |
| 4. ब्याज लागू हुआ लेकिन देय नहीं: | | - |
| क) सुरक्षित ऋण/उधारी | - | - |
| ख) असुरक्षित ऋण/उधारी | - | - |
| 5. वैधानिक देयताएँ: | | |
| क) लंबित | - | - |
| ख) टीडीएस (आईटी) देय | 1,60,000.00 | - |
| 6. अन्य वर्तमान देयताएं | | |
| क) वेतन देय | 5,92,062.00 | - |
| ख) आउटसोर्स मानव संसाधन वेतन व्यय देय | 2,42,714.00 | 51,468.00 |
| ग) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अवकाश वेतन योगदान देय | 18,01,789.00 | |
| **कुल** | **27,96,565.00** | **51,468.00** |
| ख) **प्रावधान** | | |
| 1. कराधान के लिए | - | - |
| 2. उपदान | - | - |
| 3. सेवानिवृत्ति/पेंशन | - | - |
| 4. संचित अवकाश नकदीकरण | - | - |
| 5. व्यापार वारंटी/दावे | - | - |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| **कुल (ख)** | - | - |
| **कुल (क + ख)** | **27,96,565.00** | **51,468.00** |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**अनुसूची 8- स्थायी संपत्ति**

**क) स्थायी संपत्तियाँ (स्वयं खरीदी गई)**

(राशि-रु.)

| स्थायी परिसंपत्तियाँ | Rate % | सकल खंड | | | | | मूल्यह्रास | | | | नेट ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रारंभिक शेष | जोड़ | | समायोजन [जोड़/हटाना] | कुल सकल ब्लॉक | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान जोड़-घटाव | समायोजन [जोड़ / (हटाना)] | कुल मूल्यह्रास | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष |
| | | | सितंबर से पहले। | सितंबर के बाद। | | | | | | | | |
| भूमि | | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| कार्यालय उपकरण | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कंप्यूटर | 40.00% | - | - | 5,98,362.00 | - | 5,98,362.00 | - | 1,19,672.40 | - | 1,19,672.40 | 4,78,689.60 | - |
| अस्पताल / चिकित्सा | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| उपकरण | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| | | -- | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| अस्पताल फर्नीचर | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| फर्नीचर और फिटिंग्स | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| पुस्तकालय की किताबें | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| संस्थान वाहन | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| नई सिविल कार्य | | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| पूंजीगत कार्य प्रगति में (विभिन्न पैकेजों के तहत भुगतान) | | - | - | 3,43,62,04,691.00 | - | 3,43,62,04,691.00 | - | | - | | 3,43,62,04,691.00 | - |
| कुल | | 1.00 | | 3,43,68,03,053.00 | | 3,43,68,03,054.00 | | 1,19,672.40 | | 1,19,672.40 | 3,43,66,83,381.60 | 1.00 |

हस्त/-
कलश जोशी
**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)**

हस्त/-
राजेंद्र कुमार
**(आहरण और वितरण अधिकारी)**

हस्त/-
चाँद राम
**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)**

## 31 मार्च 2025 को समाप्त हुई बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची-9: चिह्नित निधियों / स्थायी निधियों से निवेश** | **चालू वर्ष** | **पिछला वर्ष** |
|---|---|---|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | - | - |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | - | - |
| 3. शेयरों में | - | - |
| 4. डिबेंचरों एवं बॉन्डों में | - | - |
| 5. सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | - | - |
| 6. अन्य (विवरण निर्दिष्ट करें) | - | - |
| **कुल** | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च 2025 को समाप्त हुई बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची-10: निवेश: अन्य** | **चालू वर्ष** | **पिछला वर्ष** |
|---|---|---|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | - | - |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | - | - |
| 3. शेयरों में | - | - |
| 4. डिबेंचरों एवं बॉन्डों में | - | - |
| 5. सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | - | - |
| 6. अन्य (विवरण निर्दिष्ट करें) | - | - |
| **कुल** | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च 2025 को समाप्त हुई बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची-11: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि** | **चालू वर्ष** | | **पिछला वर्ष** | |
|---|---|---|---|---|
| **क. चालू परिसंपत्तियाँ** | | | | |
| 1. वस्तुसूची | | | | |
| क) भंडार एवं स्पेयर | - | - | - | - |
| ख) ढीले औज़ार | - | - | - | - |
| ग) व्यापारिक स्टॉक | - | - | - | - |
| • तैयार माल | - | - | - | - |
| • प्रगति पर कार्य | - | - | - | - |
| • कच्चा माल | - | - | - | - |
| | | | - | - |
| **2. विविध देयक** | | | | |
| क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया देयक | - | - | - | - |
| ख) अन्य | - | - | - | - |
| 3. हाथ में नकद शेष ((चेक/ड्राफ्ट तथा इम्प्रेस्ट सहित) | - | - | - | - |
| **4. बैंक शेष:** | | | | |
| **क) अनुसूचित बैंकों के साथ** | | 7,89,575.00 | | |
| • चालू खातों में | | | | |
| • जमा खातों में | | | | |
| • बचत खातों में | | | | |
| (i) पंजाब नेशनल बैंक खाता सं. 6189000100059775 | 7,89,575.00 | | | |
| (ii) टीएसए खाता सं. 10597701058 | | | | |
| **ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ** | | | | |
| • चालू खातों में | | | | |
| • जमा खातों में | | | | |
| • बचत खातों में | | | | |
| **5. डाकघर - बचत खाते** | - | - | - | - |
| **कुल (क)** | - | 7,89,575.00 | - | - |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 11- चालू संपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)** | **चालू वर्ष** | | **पिछले वर्ष** | |
|---|---|---|---|---|
| **ख) ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ** | | | | |
| **1) ऋण** | | | | |
| क) कर्मचारी | - | - | - | - |
| ख) संस्था के समकक्ष गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएँ | - | - | - | - |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| **2) नकद या वस्तु के रूप में वसूल योग्य अग्रिम राशियाँ एवं अन्य राशियाँ मूल्य होने के लिए प्राप्त हुआ:** | | | | |
| क) पूंजी खाते पर | - | - | - | - |
| ख) पूर्व भुगतान | - | - | - | - |
| ग) अन्य | - | - | - | - |
| • आकस्मिक अग्रिम | - | - | - | - |
| **3) अर्जित आय:** | | | | |
| क) चिह्नित/स्थायी निधियों से निवेश पर | - | - | - | - |
| ख) निवेश पर-अन्य | - | | | |
| ग) ऋण और अग्रिम पर | - | - | - | - |
| घ) अन्य (इसमें बकाया इनकम शामिल है - रु.) | - | - | - | - |
| | - | - | - | |
| **4) प्राप्य दावे** | | - | | - |
| **कुल (ख)** | | - | | - |
| **कुल (क + ख)** | | **7,89,575.00** | | - |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 12-बिक्री/सेवा से आय** | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| 1. **बिक्री से आय** | | |
| • तैयार माल की बिक्री | - | - |
| • कच्चे माल की बिक्री | - | - |
| • स्क्रैप की बिक्री | - | - |
| 2. **सेवाओं से आय** | | |
| • श्रम और प्रसंस्करण शुल्क | - | - |
| • व्यावसायिक/परामर्श सेवा | - | - |
| • एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज | - | - |
| • रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति) | - | - |
| • अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| **कुल** | - | - |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 13- अनुदान/अनुवृत्ति** | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| **(अपरिवर्तनीय अनुदान और अनुवृत्ति प्राप्त)** | | |
| 1. केंद्र सरकार: | - | - |
| • सहायता अनुदान (सामान्य) | 35,00,000.00 | 30,00,000.00 |
| • अनुदान सहायता (वेतन) | 85,00,000.00 | 50,00,000.00 |
| 2. राज्य सरकारें | - | - |
| 3. सरकारी एजेंसियां | - | - |
| 4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय | - | - |
| 5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन | - | - |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| • अनुसूची-3 से निधि अंतरित | - | 15,00,000.00 |
| **कुल** | **1,20,00,000.00** | **95,00,000.00** |

| **हस्त/-**<br>कलश जोशी<br>**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **हस्त/-**<br>राजेंद्र कुमार<br>**(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **हस्त/-**<br>चाँद राम<br>**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |
|---|---|---|

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 14-शुल्क/सदस्यता** | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| 1. प्रवेश शुल्क | - | - |
| 2. सालाना शुल्क/सदस्यता | - | - |
| 3. सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क | - | - |
| 4. परामर्श शुल्क | - | - |
| 5. अन्य | - | - |
| **कुल** | - | - |
| **नोट- नकद मदों के संबंध में लेखा नीतियाँ प्रकट की जानी चाहिए।** | | |

**हस्त/-**
कलश जोशी
**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)**

**हस्त/-**
राजेंद्र कुमार
**(आहरण और वितरण अधिकारी)**

**हस्त/-**
चाँद राम
**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)**

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 15- निवेश से आय** (चिह्नित/स्थायी निधियों से निवेश पर प्राप्त आय को निधियों में हस्तांतरित किया गया) | **निर्धारित निधियों से निवेश** | | **निवेश -अन्य** | |
|---|---|---|---|---|
| | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
| **1.** ब्याज | | | | |
| • सरकारी प्रतिभूतियों पर | - | - | - | - |
| • अन्य बॉन्ड/डिबेंचर | - | - | - | - |
| **2.** लाभांश: | | | | |
| • शेयरों पर | - | - | - | - |
| • म्यूचुअल निधि सिक्योरिटीज पर | - | - | - | - |
| **3.** किराया | - | - | - | - |
| **4.** अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **चिह्नित/स्थायी निधियों में हस्तांतरित** | | | | |

| **हस्त/-**<br>कलश जोशी<br>**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **हस्त/-**<br>राजेंद्र कुमार<br>**(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **हस्त/-**<br>चाँद राम<br>**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |
|---|---|---|

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय** | | |
| 1. रॉयल्टी से आय | - | - |
| 2. प्रकाशन से आय | - | - |
| 3. अन्य | - | - |
| **कुल** | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| **1. सावधि जमा पर** | | |
| • अनुसूचित बैंकों के साथ: | - | - |
| • गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - |
| • संस्थानों के साथ | - | - |
| • अन्य | - | - |
| **2. बचत खातों पर:** | | |
| • अनुसूचित बैंकों के साथ | 20,423.00 | 4,05,226.00 |
| • गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - |
| • डाकघर बचत खाते | - | - |
| • अन्य लोग | | |
| **3. ऋण पर** | - | - |
| • कर्मचारी / कर्मचारियों | - | - |
| • अन्य: | | |
| **4. देनदारों और अन्य प्राप्य पर ब्याज** | - | - |
| **कुल** | **20,423.00** | **4,05,226.00** |
| **नोट-** स्रोत पर कर कटौती को प्रदर्शित किया जाना चाहिए | | |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची 18- अन्य आय** | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| **1.** संपत्ति की बिक्री/डिस्पोजल पर प्रॉफिट: | | |
| • स्वामित्व वाली संपत्तियाँ | - | - |
| • अनुदान से हासिल की गई या मुफ़्त में मिली संपत्ति | - | - |
| **2.** निर्यात प्रोत्साहन मिले | - | - |
| **3.** विविध सेवाओं के शुल्क: | - | - |
| **4.** विविध आय | - | - |
| **कुल** | - | - |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

**(राशि-रु.)**

| | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 19- तैयार माल और कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) प्रगति पर है** | | |
| **1. समापन स्टॉक** | | |
| तैयार माल | - | - |
| कार्य प्रगति पर | - | - |
| **2. घटाएँ: प्रारंभिक स्टॉक** | | |
| तैयार माल | - | - |
| कार्य प्रगति पर | - | - |
| **शुद्ध वृद्धि/कमी [1-2]** | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| **अनुसूची-20 स्थापना व्यय** | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| **1. वेतन और मजदूरी:** | | |
| • वेतन | 78,56,192.00 | 23,41,519.00 |
| **2. भत्ते और बोनस:** | | |
| • शिक्षण संसाधन भत्ता | 1,49,406.00 | - |
| • बच्चों की शिक्षा भत्ता | - | - |
| **3. भविष्य निधि में योगदान** | - | - |
| **4. अन्य निधि में योगदान** | - | - |
| **5. कर्मचारी कल्याण व्यय:** | - | - |
| • कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और छुट्टी के वेतन में योगदान पर खर्च | 18,01,789.00 | 7,57,072.00 |
| **6. अन्य: छुट्टी यात्रा रियायत** | 98,250.00 | - |
| **कुल** | **99,05,637.00** | **30,98,591.00** |

| **हस्त/-**<br>कलश जोशी<br>**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **हस्त/-**<br>राजेंद्र कुमार<br>**(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **हस्त/-**<br>चाँद राम<br>**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |
|---|---|---|

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

(राशि-रु.)

| | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।** | - | - |
| 1. खरीदारी: | - | - |
| 2. श्रम एवं प्रक्रमण व्यय: | | |
| • जनशक्ति की भर्ती | 3,97,125.00 | 7,33,830.00 |
| 3. सामान ढुलाई एवं आगत ढुलाई खर्च | - | - |
| 4. बिजली और शक्ति: | - | - |
| 5. जल शुल्क | - | - |
| 6. बीमा: | - | - |
| 7. मरम्मत और रखरखाव: | - | - |
| 8. उत्पाद शुल्क | - | - |
| 9. किराया, दरें और कर: | - | - |
| 10. वाहन चलाना और रखरखाव: | - | - |
| • वाहन किराये पर लेना | 35,748.00 | - |
| 11. डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क: | - | |
| • टेलीफोन व्यय | 26,047.00 | 14,877.00 |
| • समाचार पत्र व्यय | 12,900.00 | 4,500.00 |
| • डाक व्यय | - | 1,138.00 |
| 12. मुद्रण एवं स्टेशनरी | 16,110.00 | 6,010.00 |
| 13. यात्रा और परिवहन व्यय: | - | - |
| • स्थानांतरण यात्रा भत्ता | 1,46,510.00 | - |
| • यात्रा भत्ता | 6,47,963.00 | 5,54,628.00 |
| 14. सेमिनार/कार्यशालाओं पर खर्च | - | - |
| 15. सदस्यता शुल्क (ई-जर्नल/पत्रिकाएँ/पत्रिकाएँ आदि) | - | - |
| 16. शुल्क पर खर्च | | |
| जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न भरने का खर्च | - | 55,860.00 |
| 17. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक | - | 12,972.00 |
| 18. आतिथ्य/मनोरंजन व्यय | | |
| 19. व्यावसायिक एवं कानूनी शुल्क (GST और इनकम टैक्स रिटर्न भरने का खर्च) | 63,720.00 | - |
| 20. खराब और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | - |
| 21. अप्राप्य शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी गई | - | - |
| 22. पैकिंग शुल्क | - | - |
| 23. माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय | | |
| 24. वितरण व्यय | - | - |
| 25. विज्ञापन और प्रचार | 9,266.00 | |
| 26. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| • क्षमता निर्माण | - | - |
| • अटैची प्रतिपूर्ति | - | 3,300.00 |
| • आकस्मिक व्यय | 89,303.00 | 19,672.00 |
| • विविध व्यय | 7,458.00 | - |
| **कुल** | **14,52,150.00** | **14,06,787.00** |

| हस्त/- | हस्त/- | हस्त/- |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| **अनुसूची 22- अनुदान, अनुवृत्ति आदि पर व्यय** | | |
| क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान | - | - |
| ख) संस्थानों/संगठनों को दी जाने वाली अनुवृत्ति | - | - |
| **कुल** | - | - |
| **नोट- संबंधित संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियाँ एवं प्रदान किए गए अनुदान/अनुवृत्ति की राशि का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है।** | | |

| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
|---|---|---|
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**(राशि-रु.)**

| | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| **अनुसूची 23 ब्याज** | | |
| • स्थिर ऋण पर | - | - |
| • अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित) | - | - |
| • अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |

**हस्त/-**
कलश जोशी
**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)**

**हस्त/-**
राजेंद्र कुमार
**(आहरण और वितरण अधिकारी)**

**हस्त/-**
चाँद राम
**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)**

**31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**अनुसूची 24- महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ**

**1. लेखांकन की अवधारणाएँ**

1.1 वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किया जाता है, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो और लेखांकन की वास्तविक विधि पर।

**2. राजस्व मान्यता**

2.1 अनुदान (सहायता) का हिसाब रसीद के आधार पर रखा जाता है।

2.2 चूंकि टीएसए के तहत जीआईए के सभी अप्रयुक्त शेष वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं, इसलिए 31.03.2025 तक जीआईए के अप्रयुक्त शेष शून्य हैं और तदनुसार अनुसूची-3 का शेष शून्य है।

**3. स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं मूल्यह्रास**

**क) अचल संपत्तियाँ**

**3.1** स्थायी परिसंपत्तियाँ लागत पर बताए गए हैं। खरीदने की लागत में आने वाला भाड़ा, शुल्क तथा कर और दूसरे अचानक होने वाले खर्चे शामिल हैं।

**3.2** साल के दौरान किसी भी एसेट का रीवैल्यूएशन नहीं किया गया है।

**3.3** यह ज़मीन जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, GOI को AIIMS अवंतीपोरा बनाने के लिए मुफ़्त में स्थानांतरण की गई है, इसलिए ज़मीन की कीमत नाममात्र धन-संपदा में 1 रुपये दिखाई गई है, इसे बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण में ज़मीन को स्थायी परिसंपत्तियाँ के तहत बुक किया गया है।

**4. सेवानिवृत्ति लाभ**

4.1 इस साल सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं माना गया है, क्योंकि मार्च 2025 तक कोई नियमित कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है।

**लेखों पर टिप्पणियाँ: -**

| | | |
|---|---|---|
| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

1. वर्ष के दौरान संस्थान को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए हैं-

**(राशि रु.)**

| **अनुदान की प्रकृति** | **प्राप्त धनराशि** | **समर्पित निधियाँ** |
|---|---|---|
| जीआईए (वेतन) | 85,00,000 | 3,96,152 |
| जीआईए (सामान्य) | 10,00,000 | 22,22,006 |
| जीआईए (पूंजी) | 25,00,000 | 4,01,638 |
| **कुल** | **1,20,00,000** | **30,19,796** |

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी तक कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ मंज़ूर नहीं किया है, इसलिए आंतरिक लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2024-25 तक किया जा सकता है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम | प्रो (डॉ.) सच्चिदानन्द मोहंती |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** | **(कार्यकारी निदेशक)** |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

**अनुसूची 25- आकस्मिक देनदारियां और खातों पर नोट्स**

1. **आकस्मिक देयताएं**

1.1 इसके संबंध में: इकाई की ओर से दी गई बैंक प्रत्याभूति - रु. _____ **शून्य**_____ (पिछला वर्ष रु. ____ **शून्य**______) |

- इकाई की ओर से बैंक द्वारा खुले ऋण पत्रों के लिए वर्ष के दौरान हस्तांतरण राशि-रु. **शून्य** (पिछले वर्ष रु. __ **शून्य**______) |

- बैंकों द्वारा भुनाए गए बिल रुपये_____ **शून्य**______ (पिछले वर्ष रुपये___ **शून्य**_____) |

**1.2 विवादित मांगें:**

आयकर रु. ____**शून्य**_____ (पिछले वर्ष रु. ________**शून्य**_________) |

बिक्री कर रु. ______**शून्य**____ (पिछले वर्ष रु. ______**शून्य**______) |

नगरपालिका कर_____**शून्य**_____ (पिछले वर्ष रु. ________**शून्य**_____) |

**1.3** ऑर्डर पूरा न होने पर पार्टियों के दावों के संबंध में, लेकिन इकाई द्वारा चुनौती दी गई - रु. __ **शून्य**__ (पिछले वर्ष रु. ____ **शून्य**____) |

**2. पूंजी प्रतिबद्धताएँ**

पूंजी खाता पर बाकी बचे अनुबंध की अनुमानित कीमत, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम राशि को घटाकर)

रु. ________ **शून्य ______** (पिछले वर्ष रु. ________ **शून्य _____) |**

**3. लीज़ दायित्व**

संयंत्र और यंत्र के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्था के तहत किराए के लिए भविष्य की बाध्यताएं रु. __**शून्य** (पिछले वर्ष रु. __ **शून्य**____) |

**4. मौजूदा संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम**

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की आम संचालन के दौरान मिलने वाली मूल्य कम से कम बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण में दिखाई गई कुल रकम के बराबर होती है।

| | | |
|---|---|---|
| **हस्त/-** | **हस्त/-** | **हस्त/-** |
| कलश जोशी | राजेंद्र कुमार | चाँद राम |
| **(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** |

## 6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

| | (राशियाँ-रु.) | |
|---|---|---|
| | **चालू वर्ष** | **पिछला वर्ष** |
| **6.1 विदेशी मुद्रा में व्यय** | | |
| क) यात्रा | **शून्य** | **शून्य** |
| ख) वित्तीय संस्थान बैंकों को विदेशी मुद्रा में धनप्रेषण और ब्याज भुगतान | **शून्य** | **शून्य** |
| ग) अन्य व्यय | | |
| ▪ विक्रय पर देय प्रतिफल | **शून्य** | **शून्य** |
| ▪ कानूनी और व्यावसायिक व्यय | **शून्य** | **शून्य** |
| ▪ विविध व्यय | **शून्य** | **शून्य** |

### 6.2 कमाई:

एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य

### 6.3 लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक:

लेखा परीक्षक के रूप में

| | | |
|---|---|---|
| • कराधान संबंधी मामले | **शून्य** | **शून्य** |
| • प्रबंधन सेवा के लिए | **शून्य** | **शून्य** |
| • प्रमाणन के लिए | **शून्य** | **शून्य** |

### 6.4 अन्य

पिछले साल के आंकड़ों को, जहाँ भी ज़रूरी था, फिर से इकट्ठा/फिर से व्यवस्थित किया गया है।_अनुसूची 1 से 25 तक संलग्न हैं और 31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट / वित्तीय स्थिति विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खातों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **हस्त/-**<br>कलश जोशी<br>**(कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)** | **हस्त/-**<br>राजेंद्र कुमार<br>**(आहरण और वितरण अधिकारी)** | **हस्त/-**<br>चाँद राम<br>**(कार्यपालन वित्तीय सलाहकार)** | **हस्त/-**<br>प्रो (डॉ.) सच्चिदानन्द मोहंती<br>**(कार्यकारी निदेशक)** |

# वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

# वित्तीय वर्ष 2024-25

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

## अवंतीपोरा

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अवंतीपोरा, जम्मू एवं कश्मीर के खातों पर वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की राय**

**राय**

हमने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अवंतीपोरा, जम्मू एवं कश्मीर के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति विवरण, तथा वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा / प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शामिल हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं। यह लेखा-परीक्षण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18(2) के साथ पढ़ते हुए किया गया है।

इस लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा केवल लेखा-पद्धति, वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा-प्रथाओं, लेखा मानकों एवं प्रकटीकरण मानकों के अनुरूपता से संबंधित टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियम एवं विनियमों (नियमितता एवं शुचिता) के अनुपालन तथा कार्यकुशलता एवं प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर यदि कोई टिप्पणी हो, तो उसे निरीक्षण प्रतिवेदन/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

हमारी राय में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अवंतीपोरा, जम्मू एवं कश्मीर के संलग्न वित्तीय विवरण, जब उन्हें संबंधित लेखांकन नीतियों, उन पर की गई टिप्पणियों तथा इसके पश्चात प्रस्तुत पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित विषयों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है, तो वे दिनांक 31 मार्च, 2025 को स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उसकी वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये भारत सरकार के वित मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

**राय का आधार**

हमने यह लेखा-परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित लेखा-परीक्षण नियमों/मानकों/ नियमावली/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन/टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार किया है। हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के "वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियाँ" शीर्षक अनुभाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक

जिम्मेदारियों का भी पालन किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य, हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

**वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अवंतीपोरा, जम्मू एवं कश्मीर के शासन समिति, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी हैं। प्रबंधन, आवश्यकतानुसार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न किसी भी महत्वपूर्ण अशुद्धि से मुक्त हों।

**वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के संबंध में लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियाँ**

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरण, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, किसी भी महत्वपूर्ण अशुद्धि से मुक्त हैं अथवा नहीं, तथा इसके आधार पर अपनी राय सहित लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। यह लेखा-परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित नियमों/ मानकों / नियमावली/दिशानिर्देशों/ आदेशों एवं परिपत्रों के अनुसार किया गया है।

**हस्त/.**

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से**

**प्रधान निदेशक (लेखा-परीक्षण) (केंद्रीय), चण्डीगढ़**

**स्थान: चण्डीगढ़**

**दिनांक: 02.01.2026**

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अवंतीपोरा, जम्मू एवं कश्मीर के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार**

**क. सामान्य**

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली द्वारा संस्थान के परियोजना निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है तथा इस परियोजना हेतु धनराशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सीधे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्गत की जा रही है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त वित्तीय योजना एवं व्यय विवरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2025 तक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹1279.32 करोड़ की जमा राशि प्राप्त की गई है तथा इस परियोजना पर ₹1276.64 करोड़ का व्यय किया गया है। तथापि, संस्थान द्वारा इन तथ्यों का प्रकटीकरण लेखों से संबंधित टिप्पणियों में किसी टिप्पणी के माध्यम से नहीं किया गया है।

**ख. प्रबंधन पत्र**

इस पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित न की गई कमियों को सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई हेतु पृथक रूप से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।

**ग. आंतरिक नियंत्रणों का आकलन**

**ग.1 आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता**

संस्थान में आंतरिक लेखा परीक्षा की कोई प्रणाली प्रचलित नहीं है।

**ग.2 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित बिंदुओं पर अपर्याप्त पाई गई:

I. लेखा नियमावली तैयार नहीं की गई है।
II. भर्ती नीति एवं नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं।
III. वाउचर का समुचित रूप से संधारण नहीं किया गया है।
IV. अधिकारों के प्रत्यायोजन को परिभाषित नहीं किया गया है।
V. शासी निकाय का गठन नहीं किया गया है।

**ग.3 स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष 2024-25 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

**ग.4 भंडार के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष 2024-25 के लिए भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया।

**ग.5 वैधानिक देयों के भुगतान में नियमितता**

वैधानिक देयों के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।

**घ. अनुदान-सहायता**

(राशि ₹ लाख में)

| **विवरण** | **ओएच-31 (सामान्य)** | **ओएच-35 (पूंजीगत)** | **ओएच-36 (वेतन)** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | 35.00 | 10.00 | 85.00 | 130.00 |
| कुल उपलब्ध निधि | 35.00 | 10.00 | 85.00 | 130.00 |
| **घटाएँ:** वर्ष के दौरान उपयोग | 13.00 | 6.00 | 81.00 | 100.00 |
| **घटाएँ:** वर्ष के दौरान समर्पित (वापस की गई) अनुदान राशि | 22.00 | 4.00 | 4.00 | 30.00 |
| वर्ष के अंत में समापन शेष | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |